(b) The Reserve Bank of India has issued from time to time suitable guidelines to Banks in the matter of rehabilitation of sick units. The guidelines cover aspects such as strengthening the organisational set up, monitoring, co-ordination of arrangements in Banks, efforts for revival made jointly with other institutions under State/Central Government, grant of need based credit facilities, if necessary at concessional rates of interest, reduction in margin, rescheduling of past liabilities, periodical review of this aspect by Banks Boards, etc. The Bank have also been advised to set up cells at their central and regional offices euipped with experienced and qualified staff to render monitoring and counselling assistance. A study group has been constituted in Reserve Bank of India (Industrial Finance Department) for examining the proposals for setting up of soft loan fund for assisting in rehabilitation of sick units in Small Scale Industries Sector as per recommendations of the High Power Committee.

(c) The State Level Committees for revival of sick units functioning in the States examine the cases of sick units and recommend a package of assistance including for preferential provision of raw materials. Furthermore Iron and Steel items are being made available to sick units whose rehabilitation process is being financed by Scheduled Banks etc., on the basis of five years best off-take during 1974-75 to 1978-79 instead of three years as in the case of normal working units.

Inclusion of Bhoti Script of North Eastern in Eighth Schedule

3203. SHRI P. NAMGYAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bhoti script and dialogue is in use in the whole of Himalayan region of our country right from Ladakh in J. & K. Lahaul-Spiti and Kinnaur in Himachal Pradesh the hilly areas of U.P., whole of Sikkim, Darjeeling in West Bengal and many parts of Arunachal Pradesh and Meghalaya;

(b) wheher Government propose to include Bhoti as one of the spoken and written language of hilly people of the North Eastern Frontier in the Eighth Schedule of the Constiution; and

(c) if so, when and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c). There is at present no proposal under consideration of the Government for inclusion of Bhoti in the Eighth Schedule to the Constitution. However, it is the endeavour of the Government to develop the cultural and literary heritage of all the languages irrespective of their inclusion in the Eighth Schedule.

पर्यावरण विभाग तथा राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी आयोजना समिति का गठन

3204. **श्री राकेश कुमार सिंह:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण विभाग तथा राष्ट्रीय पर्यावरण-सम्बन्धी आयोजना समिति को गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों राज्यमंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह): (क) और (ख):-- भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की पहली नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या डी.ओ.ई.-सी.डी.-1016/80 के अनुसार केन्द्र में पहले से ही प्रधान मंत्री के अधीन एक पर्यावरण विभाग का गठन किया है। यह कार्य-बाई पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए विधायी उपायों और प्रशासनिक तंत्र की सिफारिशें करने के लिए गठित की गई उच्चशक्ति

प्राप्त समिति की मुख्य सिफारिश के आधार पर की गई है। इस समिति ने 15 सितम्बर, 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी थी। राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समिति (एन. सी. ई. पी.) की स्थापना करने से सम्बंधित सिफारिश सहित, समिति की शेष सिफारिशों को नए विभाग को भेज दिया गया है ताकि उन्हें आवश्यक अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रूप में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। वर्तमान राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समन्वय समिति नई राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समिति के स्थापित किये जाने तक अपना कार्य करना जारी रखेगी और सरकार को अपनी परामर्श प्रदान करना जारी रखेगी। पर्यावरण विभाग की संरचना और कार्यों के ब्यौरों और इसके समर्थक व संगठनों और विभिन्न अभिकरणों के साथ-साथ इसके क्या संबंध होंगे, इन सभी विषयों का निरूपण किया जा रहा है।

सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

3205. **श्री जगपाल सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के सभी विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण अब तक पूरे हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण कोटा पूरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन मामलों के सम्बन्ध में संविधान में कोई संशोधन सरकार के विचाराधीन है जिनमें उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण कोटे के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) समूह "ब" में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशतता को पार कर गया है जबकि समूह "ग" में उक्त प्रतिशतता 1-1-79 के अनुसार, 12.55% है, किन्तु समूह "क" तथा "ख" में अनुसूचित जातियों तथा सभी समूहों में अनुसूचित जन जीतियों का प्रतिनिधित्व, उनके लिए निर्धारित विहित प्रतिशतता से कम है।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना प्रतिनिधित्व में कमी होने का मुख्य कारण है। अन्य कारण है वरिष्ठता तथा चयन द्वारा पदोन्नति में क्रमश: 1972 और 1974 में आरक्षण की व्यवस्था किया जाना, बाद वाले मामले में आरक्षण श्रेणी एक की निम्नतम सीढ़ी (रंग) तक ही सीमित रहा है; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 12½% और 5 की प्रतिशतती को 1970 में बढ़ाकर 15% और 7½ किया जाना; अनुसूचित जनजातियों का, अपने निवास-स्थानों से बाहर जाने में अनिच्छुक होना; और केवल 1975 से ही वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों में आरक्षण दिया जाना आदि।

(ग) और (घ): आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्राप्त करने के लिए निरंतर जोरदार प्रयास किए जाते हैं। आरक्षित रिक्तियों का व्यापक प्रचार करने के अतिरिक्त, इन जातियों के लिए विभिन्न छूट और रियायतें भी दी जाती हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपने को तैयार करने के लिए प्रवेश-पूर्व कोचिंग और प्रशिक्षण का भी लाभ उठा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का जमाव है, वहां परीक्षा केन्द्र भी खोले गए हैं। कुछ मामलों में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सीमित परीक्षाएं भी ली गई हैं।

(ङ) जी नहीं, श्रीमन्।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता है।